न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/319

1. सत्यनारायण आत्मज ईश्वरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम दौलाड़ा तहसील व जिला बून्दी
2. हनुमान आत्मज ईश्वरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम दौलाड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0

– अपीलांटगण

बनाम

1. अर्जुन पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम दौलाड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0।
2. कैलाश बाई पत्नि शंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम दौलाड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0।
3. किशनबिहारी पुत्र शंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम दौलाड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0।
4. देवकल्याण पुत्र शंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम दौलाड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0।
5. पार्वतीबाई बेवा माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम दौलाड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0।
6. शिवशंकर पुत्र माधोलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम दौलाड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0।
7. शोजी पुत्र रामजीवन जाति धाकड़ निवासी ग्राम दौलाड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी
9. नीरा बाई पुत्री स्व0 ईश्वरलाल मृतक जरिये कायम मुकाम–

9/1 रामराज आत्मज प्रभूलाल निवासी ग्राम कोथ्या तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
9/2 रोहित आत्मज प्रभूलाल निवासी ग्राम कोथ्या तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
9/3 जितेन्द्र आत्मज प्रभूलाल निवासी ग्राम कोथ्या तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0

–रेस्पोडेन्टगण

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री राजकुमार माथुर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री कमलेश त्रिपाठी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5, 6 की ओर से।
3. श्री राजकुमार दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 7, 9/1 से 9/3 की ओर से।

[illegible] वाद संख्या 199/दावा/2010

अपील संख्या 2024/319

सत्यनारायण बनाम अर्जुन वगै0

निर्णय **दिनांक 30.06.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 199/2016 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी माधोलाल द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी तथा प्रतिवादी ईश्वर, शंकर व श्योजी के संयुक्त खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या 471 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 474 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 475 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 478 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 668 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा ग्राम दौलाड़ा तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात में वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा है। संयुक्त खाते एवं संयुक्त कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की आमदनी, लगान तथा उपज के सम्बंध में सहखातेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न होने लग गया है। इस कारण वादी अधिनियमित विभाजन कराकर अपने हिस्से की भूमि पर स्वतंत्र दखल प्राप्त करना चाहता है। परन्तु प्रतिवादीगण अनेक आग्रह करने पर भी ध्यान नहीं देते है। अन्तिम बार दिनांक 25.03.2000 को आग्रह किया गया किन्तु प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया। यही वादोत्पति कारण है। वाद कारण दिनांक 25.03.2000 को न्यायालय के न्यायक्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। अन्त में वादग्रस्त आराजी का नियमानुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि का वादी को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाकर पृथक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं वादी के हिस्से की भूमि पर स्वतंत्र दखल दिए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2017 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिकी पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 02.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 02.06.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 02.06.2017 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5, 6 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 7, 9/1 से 9/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण कों रेस्पो. 8 के अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी दिनांक 28.10.2024 उक्त कृषि भूमि में मौके पर आयें और प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को धमकी दी की उक्त कृषि भूमि को कोर्ट के आदेश सें बटवॉरा करना है और तुम इस कृषि भूमि को खाली कर दो, तब अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जाकर पता किया और दिनांक 29.10.2024 कों नकल निर्णय हेतु अवेदन किया और दिनांक 14.11.2024 को नकल प्राप्त हुई। प्रार्थीगण ने बिना देरी किये हुए उक्त अपलाधन वाद की जानकारी कर नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 14.11.2024 को नकल मिली। अपीलार्थीगण ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति होने के कारण तथा पूर्व में अपीलाधीन निर्णय व डिकी का ज्ञान न होने के कारण उक्त अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई। उक्त अपील में महत्व पूर्ण कानूनी बिन्दू निहित होने के कारण उक्त देरी को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दीगर वजुहात बवक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जायेगें। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील प्रस्तुत प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जावें। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने एवं अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता ईश्वरलाल जाति धाकड़ निवासी दौलाड़ा थे जिनका निधन हो चुका है। प्रार्थीगण ईश्वर जी के विधिक वारिसान है तथा उक्त प्रकरण में संदर्भित भूमि पर अर्से दराज से काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय अपीलांट प्रार्थीगण के हित प्रभावित होते है अतः उन्हें अपनी सुरक्षा में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलांट को ज्ञान होते ही अपीलांट ने माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी है जिसका सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वस्तु स्थिति व विधान प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णत वाद में प्रतिवादी कम 1 ईश्वरलाल के वारिसान है ईश्वरलाल जी की कैंसर की लम्बी बिमारी के बाद दिनांक 29.04.2021 कों उनका निधन हो गया। अधीनस्थ न्यायालय में मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किये बिना ही मात्र राजस्व जमाबन्दी के आधार पर ही उक्त वाद का लोक अदालत कोर्ट केम्प दौलाडा में बिना पक्षकारों कों सुनें निर्णय पाति कर दिया जबकि उक्त वाद वर्णित भूमि पर रेस्पोडेन्ट 1, 6 के पिता व 5 के पति माधोलाल पुत्र शिवनारायण का कभी कब्जा नही रहा है, इस प्रकार वों उक्त भूमि में अपनें सभी मालिकाना व काबिजाना अधिकार खो चुके है यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि माधोलालजी के पिता शिवनारायण जी नें अपनें हिस्सें की भूमि का विकय 600/ रूपयें में कर अपीलार्थी के दादाजी रामजीवन जी कों कर मौके पर कब्जा वर्षों पूर्व ही कर दिया था तब से ही अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट कम 2, 3, 4, एवं 7 उक्त कृषि भूमि पर खुलम खुल्ला रूप सें रेस्पोडेन्ट कम 1, 5, 6 व समस्त ग्राम वासियों की जानकारी में कृषि कार्य करतें हुए आ रहे है रेस्पोडेन्ट कम 1, 6 के पिता एवं 5 के पति माधोलाल का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य की अनदेखी कर जमाबन्दी के आधार पर बटवारें के वाद कों रेस्पोडेन्ट कम 1, 5, 6 के हक में निर्णय पारित कर दिया जों विधि विरूद्ध एवं वास्तविकता से परे होने से खारिज फरमायें जानें योग्य हैं। अपीलार्थी कों उक्त वाद के सम्बन्ध में दिनांक 28/10/2024 कों जानकारी तब हुई पटवारी महोदय दौलाडा मौके पर आयें और अपीलार्थीगण सें कहा कि उक्त भूमि का उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय सें बटवांरा जमाबन्दी के हिसाब से कर दिया गया है और अब तुम उक्त भूमि

कों खली कर दो कोर्ट में आदेश आया है तों अपीलार्थी बिना देरी किये बून्दी आयें और अपनें अभिभषक सें सम्पर्क कर उक्त निर्णय एवं डिकी की नकल हेतु दिनांक 30.10.2024 कों आवेदन किया और अपीलार्थी कों दिनांक 14.11.2024 कों निर्णय एवं डिकी की नकल प्राप्त हुई और बिना कसी देरी किये उक्त अपील श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट कम 1, 6 के पिता व 5 के पति माधोलाल का व उक्त रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा नही रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद कों डिक्री कर दिया जिसकी आढ में अधीनस्थ राजस्व अधिकारी मौके पर बार–बार जाकर अपीलार्थी कों जमीन खाली करनें के लिए धमका रहे है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5, 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5, 6 के पिता माधोलाल का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का शेष 1/2 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में हमारे पिता वादी माधोलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित अपने 1/2 हिस्से के बंटवारे का अंनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 में अपीलांटगण के हिस्से व रकबे में किसी प्रकार की कटौती नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पारित की गई है। हमारा वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है तथा उसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 से अपीलांटगण के किसी प्रकार के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.6.2017 से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 ईश्वर के विधिक वारिसान है जिनके द्वारा ही यह अपील पेश की गई है। अपीलांटगण का पिता ईश्वरलाल अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था तथा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ है। अपीलांटगण के पिता की मृत्यु दिनांक 29.04.2021 को होने का कथन स्वयं अपीलांटगण द्वारा किया गया है। प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 का है अतः अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ईश्वरलाल द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 के पश्चात अपनी मृत्यु की दिनांक 29.04.2021 तक प्रश्नगत निर्णय व डिक्री के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई। अपीलांटगण द्वारा भी प्रश्नगत अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017

के लगभग 7 वर्ष 5 माह पश्चात अपील पेश की गई है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर विलम्ब से पेश की गई है। चूंकि अपीलांटगण का पिता स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था अतः अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रश्नगत प्रकरण एवं निर्णय व डिक्री की जानकारी होना स्वाभाविक है। इसके बावजूद भी अपीलांटगण ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। ईश्वरलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के पिता को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को वादी माधोलाल द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी माधोलाल के वाद को प्रमाणित होना मानते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 7, 9/1 लगायत 9/3 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक–अदालत के तहत निर्णय पारित किया गया है। लोक अदालत के तहत उभयपक्षकारान की उपस्थित में तथा उनकी ओर से राजीनामा प्रस्तुत होने पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की उपस्थिति के बिना एवं बिना किसी विधिक राजीनामें एवं बिना सहमति के ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 पारित की है जो लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को प्राकृतिक न्याय से वंचित रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना किए बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य व सुनवाई के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पिता स्वर्गीय ईश्वरलाल की खातेदारी की भूमि है। अतः वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का हक अधिकार निहित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण पक्षकार नहीं थे अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पिता ईश्वर एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 अपीलांटगण के पिता की संयुक्त खातेदारी में दर्ज प्रश्नगत आराजी का विभाजन किए जाने का आदेश अंकित है अतः हमारे मत में अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 से प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनयम पर की गई बहस पर मनन किया। चूंकि अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे अतः उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 की जानकारी नहीं हो सकी। प्रश्नगत निर्णय लोक-अदालत के तहत दिनांक 02.06.2017 को पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में

अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 04.12.2015 के अनुसार पत्रावली संशोधित शीर्षक पेश किए जाने हेतु विचाराधीन थी तथा आगामी पेशी 17.12.2015 नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2015 की आदेशिका में वकील प्रतिवादी एवं स्वयं प्रतिवादी को उपस्थित नहीं होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित किया है तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 15.02.2016 को नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत होने का अंकन नहीं है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण की आरे से प्रस्तुत कोई जवाबदावा संलग्न है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण से कोई जवाबदावा नहीं लिया गया। प्रतिवादीगण की साक्ष्य नहीं ली गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 02.06.2017 को पत्रावली के लोक–अदालत में नियत किए जाने का कोई आदेश अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में पक्षकारान को लोक–अदालत की दिनांक 02.06.2017 के सम्मन नोटिस जारी किए जाने का कोई आदेश भी अंकित नहीं है। रेस्पोडेन्टगण को जारी लोक–अदालत की दिनांक 02.06.2017 के कोई सम्मन नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाबदावा एवं साक्ष्य लिए बिना ही अपीलांट पत्रावली को दिनांक 02.06.2017 को लोक–अदालत में नियत किया गया है। लोक–अदालत की आदेशिका दिनांक 02.06.2017 पर किसी भी पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ता की उपस्थिति/हस्ताक्षर का भी अंकन नहीं है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के लोक–अदालत में रखे जाने के सम्बंध में उभयपक्षकारान को न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए गए। चूंकि अपीलांट का पिता प्रतिवादी ईश्वरलाल एवं अन्य पक्षकारान को प्रश्नगत प्रकरण के लोक अदालत में रखे जाने की जानकारी नहीं थी अतः अपीलांट का पिता प्रतिवादी ईश्वरलाल एवं अन्य पक्षकारान लोक–अदालत केम्प कोर्ट दिनांक 02.06.2017 को नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार का राजीनामा/सहमतिनामा भी संलग्न नहीं है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक–अदालत केम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणो का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत होता है जिनमें उभयपक्षकारान की ओर से विधिक रूप से राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत होता हो। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में

लोक–अदालत में न तो प्रतिवादी ईश्वरलाल व अन्य पक्षकार उपस्थित थे और न ही उनकी ओर से कोई राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी ऐसा कोई लिखित राजीनामा अथवा सहमतिनामा उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की अनुपस्थिति में उभयपक्षकारान की बिना सहमति व बिना राजीनामे के लोक–अदालत केम्प कोर्ट के तहत निर्णय पारित किया गया है जो लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपरिपक्व पत्रावली को उभयपक्षकारान की सहमति के बिना लोक–अदालत में नियत कर बिना राजीनामे के तथा प्रतिवादीगण को सुने बिना ही लोक–अदालत की भावना के विपरीत जाकर प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2018 पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 199/2016 में लोक–अदालत केम्प कोर्ट के तहत पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को प्रकरण में पक्षकार कायम करें तथा अपीलांटगण को जवाबदावा प्रस्तुत करनें समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी. पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.08.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा